

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, सीकर

बइजलास:- गोविन्द सिंह भीचर, आरएस

प्रकरण संख्या:-4/2013/अपील

सीताराम पुत्र रामपाल जाति बावरी निवासी खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

-अपीलांट

बनाम

1. नानूडी पुत्री रामदीन पत्नि स्व० सोहनलाल जाति बावरी निवासी सिंगरावट कला तहसील डीडवाना जिला नागौर। ला सीकर।
2. सायरी पुत्री बनवारीलाल पत्नि मदनलाल जाति बावरी निवासी ग्राम रसीदपुरा उपतहसील मौलासर जिला नागौर।
3. ग्राम पंचायत खूड जरिये सरपंच पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर।

-रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 1367 दिनांकित 20.06.2012 द्वारा ग्राम पंचायत खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

उपस्थिति:

1. श्री शिवपालसिंह वकील अपीलांट्स की ओर सें।
2. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय

दिनांक:- 20.08.2024

1. अपील आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि भूमी खसरा नम्बर 1927 रकबा 6.16 है०, खसरा नम्बर 1927/2161 रकबा 0.01 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 6.17 है० वाके ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों का खाता रामदीन की मृत्यु होने के बाद उसकी पुत्री नानूडी, भूरामल के बाद उसकी पुत्री नानूडी, भूरामल उसके पुत्र तथा धन्नी बेवा रामदीन तथा अपीलांट के पिता रामगोपाल रामदीन के तो सही रूप से हुआ था, परन्तु नानूडी ने दिनांक 16.04 12 को एक हक त्याग के द्वारा उक्त भूमियों में अपने अकेले का हिस्सा अपने अकेली भतीजी रेस्पों० सं० 2 के हक में गलत रूप से हक त्याग कर दिया गया। हक त्याग मे सायरी पुत्री रामदीन लिखा हुआ है, तथा नामान्तरण संख्या 1367 मे सायरी पुत्री बनवारीलाल लिखा हुआ है। उक्त नामान्तरण के बारे मे पूर्व मे अपीलान्ट को कोई जानकारी नही हो पायी, दिनांक 31 12.12 को जब अपीलांट




ने पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमियो मे से अपने हिस्से पर ऋण प्राप्ति हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उस पर अपीलान्तीन नामान्तकरण का नोट अंकित होना पाया। इस पर उसी समय अपीलान्तीन द्वारा अपीलान्तीन नामान्तकरण की नकल भी पटवारी हल्का से प्राप्त की गयी तो सर्वप्रथम अपीलान्तीन को अपीलान्तीन नामान्तकरण के बारे मे जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब माफ किये जाने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत है :- 1. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खूड का उपरोक्त निर्णय विरुद्ध कानून तथा पत्रावली है। 2. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई कब्जे की जांच की गई तथा ना पूर्णतया रिकार्ड से मिलान किया गया। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत की साजिश से पीछे की तारीख मे जाकर नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है। उक्त हक त्याग में सायरी के पिता का नाम रामदीन लिखाया गया है तथा नामान्तकरण की कार्यवाही मे सायरी पुत्री बनवारीलाल बताया गा है। इससे सिद्ध एवम प्रमाणित होता है कि उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही गलत रूप से होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही रेस्पो० संख्या 1 ने रेस्पो० संख्या 2 से मिलकर बिना किसी कब्जे के ही कारवाई गई होने के कारण रेस्पो० संख्या 1 ने एक अकेली पुत्री के नाम हक त्याग करके नामान्तकरण की कार्यवाही करवाई है, जबकि एक अकेली पुत्री को अपने भाईयो के अलावा भतीजी सायरी के उक्त हक त्याग करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है, 1367 इसलिए भी उक्त नामान्तकरण संख्या 1367 निरस्तनीय है। उक्त हक त्याग से किया गया उक्त नामान्तकरण के गवाह व वंशावली गलत रूप से दर्शित की गई है। हक त्याग का गवाह मंगलाराम पुत्र छिगनाराम जो ग्राम भगतपुरा का है, जिसे हक त्याग मे गवाह गलत खूड निवासी होने के कारण तथा हक तग्या मे हक प्राप्तकर्ता के भी पिता का नाम गलत रूप से होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्तीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्तीन को पूर्व मे नही हो पायी क्योंकि उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्तीन को सूचना सुनवाई का अवसर नही दिया। दिनांक 31.12.12 को जब अपीलान्तीन ने पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमियो मे से अपने हिस्से पर ऋण प्राप्ति हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की गयी तो उस पर अपीलान्तीन नामान्तकरण का नोट अंकित होना पाया। इस पर उसी समय अपीलान्तीन द्वारा पटवारी हल्का से ही अपीलान्तीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त की गयी तो सर्वप्रथम अपीलान्तीन को अपीलान्तीन नामान्तकरण के बारे मे जानकारी हुयी। जानकारी से अन्दर मियाद अपील माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है। जानकारी के अभाव मे हुआ विलम्ब माफ किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध मे अलग से भी एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पो० संख्या 2 दिनांक 31.12.12 को वादग्रस्त भूमियो पर आई तथा अपीलान्तीन को यह धमकिया दी कि तुम्हारी भुवाजी नानूडी से मैने मेरे हक में अकेली के नाम से नामान्तकरण करवा लिया है। उक्त भूमियो को हम दीगर भूमाफियाओ को विकय कर कब्जा दीगर भूमाफियाओ


→

को करवाकर ही दम लेंगे। रेसपो० संख्या 1 लगायत 2 क उपरोक्त कुचेष्टाओ से बाज रहने हेतु उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। अन्त में यह इस्तदुआ चाही कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खूड़ जिला सीकर का आदेश नामान्तकरण संख्या 1367 दिनांक 20.03.2012 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेसपोड्स संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अपील आवेदन पर बहस वकील अपीलांट सुनी गई। जिसमें वकील अपीलांट ने अपने अपील में प्रस्तुत कथनों को दोहराया व कहा की ग्राम पंचायत खूड़ जिला सीकर का आदेश नामान्तकरण संख्या 1367 दिनांक 20.03.2012 निरस्त किया जाने आदेश प्रदान किया जावे।
4. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया व विधिक प्रावधानों पर मनन किया जिससे स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार हिन्दू नारी की दशा में हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होती है। अतः उस सम्पत्ति के संबंध में उसे सम्पूर्ण हक होगा कि वह सम्पत्ति चाहे जिसे समर्पण करें इस पर कोई रोक पाबंदी उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में नहीं है। अपीलांट का यह कथन कि हक त्याग में सायरी के पिता का नाम रामदीन है तथा नामान्तकरण में बनवारीलाल है भी उचित नहीं है क्योंकि प्रस्तुत हक त्याग मे सायरी पुत्री बनवारीलाल ही पृष्ठ संख्या 2 में हक प्राप्तकर्ता के नाम के सम्मुख लिखा है। अतः उपरोक्त नामान्तकरण न तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धाराओं के विरुद्ध है न ही उपरोक्त विवेचन के आधार पर अन्य कोई विधिक त्रुटि से प्रभावित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(गोविन्द सिंह मीचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ